न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान चम्पालाल बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 90/2025
निर्णय दिनांक ...16/05/2025.....

चम्पालाल पुत्र बंशीधर जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 1582/673 तादादी 5.1718 हैक्ट., खसरा संख्या 813 तादादी 6.4742 हैक्ट. कुल तादादी 11.6460 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसरा की कृषिभूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों की भूलवश व कम्प्यूटर की त्रुटि से वर्तमान राजस्व जमाबंदी मे गलत दर्ज हो गया। जब प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में से जमाबंदी निकलवाई तब प्रार्थी को पता चला कि उक्त रिकॉर्ड में उसका नाम च्यानणमल दर्ज है जबकि अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान–पत्र, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों आदि में चम्पालाल दर्ज है। प्रार्थी ने जमांबदी में अपना नाम च्यानणमल के स्थान पर चम्पालाल करवाने का निवेदन किया है। नाम में भिन्नता होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने और कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 1582/673 तादादी 5.1718 हैक्ट., खसरा संख्या 813 तादादी 6.4742 हैक्ट. कुल तादादी 11.6460 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम चम्पालाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम च्यानणमल व चम्पालाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान–पत्र, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम चम्पालाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम च्यानणमल अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 1582/673 तादादी 5.1718 हैक्ट., खसरा संख्या 813 तादादी 6.4742 हैक्ट. कुल तादादी 11.6460 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **च्यानणमल Delete** कर इसके स्थान पर **चम्पालाल** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ...16/05/2025..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)